20 Rs.

बीस रुपये

भारत

INDIA

२०रु. 20Rs

TWENTY RUPEES

उत्तर:- आम रास्ता ।

दक्षिण:- आराजी नंबर २४ व जमीन राजेन्दर प्रसाद वगैरह ।

नोटः- विदित हो कि राजकीय नियमानुसार १२०००/- रुपये की मालियत पर स्टाम्प व फीस अदा किया जा रहा है ।

दिनांक:- २८-११-१९९०

मसविदाकर्ता- मुरारीलाल श्रीवास्तव रामनगर वाराणसी ।

टाइपकर्ता- [signature] रामनगर, वाराणसी ।

Sanjay Kumar Yadav

Sanjay Kumar yadav

१५८५

७) ७-२८-११ को संजय कुमार यादव तिवारी [illegible]

प्रस्ताव [illegible]

।५।

Sanjay Kumar Yadav

विवरण सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध मे यह एकरार नामा बाबत
- -

किरायेदारी तहरीर किया गया :-
- - - - - - - - - - - - -

आराजी नंबर ३२१२ रक्बा ०-०५डि०, आराजी नंबर ३२१३ रक्बा ०-४३डि०, जुमला दो गाटा रक्बा ०-४८डिसमिल मय एक पक्का कमरा वाका मौजा बैचूपुर परगना मवई तहसील चन्दौली जिला वाराणसी ।

हस्व चौहद्दी जैल:-

पूरब:- जमीन हदीसुन्निसा व जमीन माता प्रसाद व जमीन राजेन्दर प्रसाद व कैशव प्रसाद ।

पश्चिम:- जमीन श्रीमती बीना गुप्ता ।

२५८०

[illegible] ०८.११. डा० संजय कुमार (सायल निवास) ने प्रस्तुत

प्रताप नारायण

[illegible] राजगार

[illegible]

और यदि द्वितीय पक्ष के जिम्मे बारहमाह का किराया बाकी पड़ जावे तो द्वितीय पक्ष मुस्तवज्यिब बेदखली का होगा ।

८- यह कि उभय पक्षों ने उक्त दस्तावेज इकरार नामा वाक्या किराये दारी के सम्पूर्ण शर्तों व अनुबन्धों को पढ़ लिया है और बखूबी सुन व समझ लिया है जिसकी पूरी पाबन्दी फरिकैन व वारिसान फरिकैन पर है व भविष्य में रहेगी ।

लेहाजा खूब सोच समझकर यह इकरार नामा वाक्या किरायेदारी वाक्या निम्न लिखित सम्पत्ति के सम्बन्ध में लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यकता पड़ने पर प्रयोजन में लाया जा सके ।

Sanjay Kumar Yadav.

७३८३

[illegible] ०२८-११ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

[illegible] जि[illegible] राजनगर

नोटरी

100Rs.

Sanjay Kumar Yadav

व्यवसाय नही करैगा ।

५- यह कि किरायैदारी की मियाद तारीख तहरीर दस्तावेज हाजा से ४५साल के लिए समझी जायेगी लेकिन उभय पक्ष अपनी इच्छानुसार किरायैदारी कि मियाद बढ़ा भी सक्ते है ।

६- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त किरायैदारी वाले भवन जिसका पूरा विवरण इस इकरार नामा के अन्त मे वर्णित है मे कोई सिक्मी किरायैदार नही बसायैगे और उक्त ~~मकान~~ की नवइयत को परिवर्तन करैगे और उसमे अनावश्यक तोड़ फोड़ और रद्दोबदल करके उसके सुन्दरता को ~~नुकसान~~ ~~पहुंचायेंगे~~ Sanjay Kumar Yadav.

७- यह कि द्वितीय पक्ष बराबर किराया अदा करके उसी रसीद प्रथम पक्ष से प्राप्त कर लिया करैगा और हरगिज बाकीदार नही रहैगा

[illegible]

[illegible] संजय[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

500Rs.

Sanjay Kumar Yadav

पक्षगण कोई इकरार नामा किरायेदारी तहरीर नही हुई है जो कि कानूनन और भविष्य के विवाद से बचने केलिए आवश्यक है । लेहाजा उभय पक्ष यह दस्तावेज इकरार नामा बाबत किरायेदारी तहरीर करके अपने अपने को पाबन्द शरायत जैल का करते व होते है -

१- यह कि द्वितीय पक्ष की माह किरायेदारी हर महीने की पहली तारीख को शुरू होकर उसकी आखिरी तारीख को समाप्त हुआ करेगी ।

२- यह कि द्वितीय पक्ष का किराया मुबलिग १२००।- रूपया सालाना है जो नवम्बर सन १९९४९० से शुरू होगा ।

३- यह कि द्वितीय पक्ष हर हर महीने का किराया उस महीने की पहली तारीख को प्रथम पक्ष को अदा करके उसी रसीद हासिल कर लिया करेगा ।और बिना रसीद किराया मान्य न होगा ।

४- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त आराजी नंबर ३२।२ व ३२।३ पर बने हुए भवन मे केवल स्कूल का व्यवसाय ही करेगा ।और केवल स्कूल उक्त लक्ष्मी पब्लिक स्कूल ही चलायेगा । इसके अलावा कोई दीगर -

११८१

२८-११-९४ को संजय कुमार यादव निवासी ...
ग्राम सराय ...

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
... रामनगर

कि०पा०या० 45 ... 1204-

शुल्क		उजरत	
130-	800	10-	140-

anjay Kumar yadav

उपनिबंधक

संजय कुमार यादव पुत्र ... प्रथम पक्ष
... कुमार यादव ... लक्ष्मी ... स्कूल कैलाशपुर ...
... शंकर पुत्र ...
... रामनगर ...
... रामनगर ... की ।

anjay Kumar yadav

उपनिबंधक
28-11-94

गौरी शंकर

... सिंह

उक्त आशय ... नियम 5 ...
साक्षीगण ...

28-11-94

2336

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. — Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये — ONE THOUSAND RUPEES

Sanjay Kumar Yadav

॥श्री॥

संजय कुमार यादव पुत्र स्व० विक्रम सिंह निवासी मौजा बैचूपुर मुगलसराय वाराणसी । -------------- प्रथमपक्ष ।

व

लक्ष्मी पब्लिक स्कूल मुहल्ला कैलाशपुरी, मुगलसराय जिला वाराणसी । द्वारा प्रबन्धक मनोज कुमार पुत्र स्व० विक्रम सिंह निवासी मौजा बैचूपुर मुगलसराय वाराणसी । ------------द्वितीय पक्ष ।

विदित हो कि आराजियात नंबरी ३२१२ रकबा ०-०५डिसमिल व आराजी नंबरी ३२१३ रकबा ०-४३डि० जुमला दो गाटा रकबा ०-४८डिसमिल वाका मौजा बैचूपुर परगना मवई तहसील चन्दौली जिला वाराणसी मिलकियत प्रथम पक्ष की है और प्रथम पक्ष उसपर बहैसियत मालिक काबिज दखील है । और उक्त भूमि पर उक्त लक्ष्मी पब्लिक स्कूल अरसा लगभग दो साल से चल रहा है, और उक्त-लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के प्रबन्धक मनोज कुमार है लेकिन अभी तक दरमियान

९५८६

[illegible]

राय वाराणसी

[illegible]

बही नं० 1 जिल्द नं० 5-18 के पृष्ठ 265-[illegible]

क्रमांक [illegible] पर आज दि० 1-1-77 को रजिस्ट्री की गई

उपनिबन्धक